कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.)

कमांक 10853 /कय/जी.एम.एच./2017 रीवा,दिनांक 30/10/2017

सीमित निविदा सूचना (द्वितीय आमंत्रण)

चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय के अधीन संचालित जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण शाला में अध्ययनरत नर्सिंग छात्राओं को फील्ड विजिट में ले जाने एवं वापस लाने हेतु 32/28 सीटर सवारी, 7 सीटर एस.यू.वी. वाहन उपलब्ध कराने हेतु सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदाकार दिनांक 08.11.2017 को सायं 05.00 बजे तक अपनी सीलबंद निविदा संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की बेवसाईट http:// www. ssmcrewa.com पर देखा एंव डाउनलोड किया जा सकता है। निविदाएं दिनांक 10.11.2017 को दोपहर 12.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में खोली जावेगी, जिसमें निविदाकार अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

सीमित निविदा की शर्तेः–

1. निविदा प्रपत्र के साथ सीमित निविदा आवेदन का मूल्य रूपये 500.00 (पांच सौं) एवं अमानत राशि 10000.00 (दस हजार) मात्र का डिमांड ड्राफ्ट पृथक–पृथक जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवां के नाम से देय हो लगाना अनिवार्य होगा। इसके बिना सीमित निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. निविदाकार को डाउनलोड किए गए सीमित निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर जमा करना अनिवार्य होगा।
3. निविदाकार को निविदा के साथ पेन कार्ड एवं जी.एस.टी. पंजीयन (यदि लागू हो) की छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा।
4. निविदाकार को वाहन के सवारी वाहन के रूप में आर.टी.ओ. कार्यालय का जीवित पंजीयन होने का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
5. निविदाकार को सवारी वाहन का सक्षम अधिकारी द्वारा फिटनेस एंव वाहन के प्रदूषण मुक्त होने का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। वाहन हेतु ईंधन की व्यवस्था निविदाकार को स्वयं करनी होगी। स्वीकृत दर के अतिरिक्त कोई भी राशि देय नही होगी और कोई अग्रिम राशि देय नही होगी। देयक प्रस्तुत करने पर प्रभारी प्रशिक्षण शाला के सत्यापन उपरांत दिए गए बैंक खाते में राशि का भुगतान किया जावेगा।
6. सवारी वाहन के बीमित होने के प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा।
7. सवारी वाहन चालक के पास उपरोक्त वाहन चलाने हेतु आर.टी.ओ. कार्यालय से जारी भारी वाहन चलाने का लायसेन्स अनिवार्य होगा।
8. निविदाकार को वित्तीय वर्ष 2016–17 का आयकर रिटर्न जमा करने का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
9. किराये पर लिए गए सवारी वाहन के रखरखाव की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति की अदायगी इस कार्यालय द्वारा देय नही होगी।
10. नर्सिंग छात्राओं के फील्ड विजिट के दौरान यदि वाहन में कोई खराबी आती है, तो उसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
11. यात्रा के दौरान लगने वाले टोल टैक्स/ट्राफिक नियमों के उल्लंघन पर किए जाने वाला जुर्माना आदि की भरपाई निविदाकार को स्वयं करनी होगी। इसके लिए निविदाकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
12. वाहन चालक का पुलिस वेरीफिकेशन होना अनिवार्य है एंव वह किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों के नशे का आदि न हो।
13. सीमित निविदा में चाहे गए सभी दस्तावेज अनिवार्य हैं, यदि कोई एक भी दस्तावेज अनुपलब्ध होने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी। मांगे समस्त अनिवार्य दस्तावेज लिफाफा **ए** एंव दर सूची लिफाफा **बी** में पृथक पृथक सीलबंद कर आउटर लिफाफा **सी** में सीलबंद कर निर्धारित दिनांक तक कार्यालय में स्वयं/पोस्ट के द्वारा प्रस्तुत करनी होगी। निर्धारित तिथि एंव समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदा आवेदनों को स्वीकार नही किया जावेगा।
14. शासन हित में सभी निविदा या किसी भी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक के पास सुरक्षित रहेगा।
15. सीमित निविदा की दरें कय समिति के अनुमोदन दिनांक से 01 वर्ष अथवा नई निविदा प्रभावशील होने तक वैध रहेंगी।
16. विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र रीवा होगा।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.)

पृ.क0 10853-56 /कय/जी.एम.एच./2017 रीवा,दिनांक 30/10/2017

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, विज्ञापन शाखा जनसम्पर्क संचालनालय, जनसम्पर्क भवन, बाणगंगा रोड, भोपाल म.प्र. ओर प्रकाशन हेतु।
2. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा म.प्र. की ओर भेजकर अनुरोध है कि इसे नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
3. चिकित्सालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.)